<table>
<tr>
<td>तारीख हुक्म</td>
<td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
योगेश कुमार बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर)
सू.अ.अ. अपील संख्या : 24/2022</td>
<td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td>
</tr>
<tr>
<td>08.03.2022</td>
<td>अपीलार्थी योगेश कुमार शर्मा निवासी फलैट न. 102, ए–विंग, धीरज प्लेटिनम, चिंचोली बन्दर रोड़, मलाड (वेस्ट), मुंबई (महा.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.12.2021 में उसके द्वारा (1) कलक्टर कार्यालय जोधपुर में कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न मानदंड/नियमों के अंतर्गत भुगतान होने वाले गृह किराया भत्ता के नियमों से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराये, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:47:44 IST
Reason: SelfAttested